



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 06 माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-215/2025 धारा-331(4),305(ए),317(2) बी0एन0एस0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज(सी0डि0) जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय उर्फ दिलवर अनुरागी पुत्र अरविन्द अनुरागी नि0 वार्ड नं0 01 लखनापुर कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह 25 दिन के साधारण कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-पीओ  
विकास



विवेचक-  
संजय कुमार राय



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का0 प्रेम सिंह